प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 2012-13 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा डी.टी.एच सेवा के लिए उपग्रह क्षमता के प्रबंधन की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करता है; 2012-13 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जब भी आवश्यक हुआ, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अंतरिक्ष विभाग से प्राप्त सहयोग को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है।

dish